न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—262 सन् 2025

राम प्रकाश सिंह...वादी।

बनाम

सत्य प्रकाश सिंह...प्रतिवादी।

दिनांक—06.02.2026

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त आवेदन दिनांक—30.10.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद की सिडियुल नं0 01 वो 02 की भूमि पर हकियत घोषित करने हेतु वाद दाखिल किया गया है। इसी दरम्यान प्रतिवादी ता जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से विवादित भूमि पर ईट, बालू गिरा दिए हैं तथा कुछ अर्द्ध निर्मित पिलर खड़ा कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर विवादित जमीन का स्थानीय निरीक्षण कराना आवश्यक है ताकि उसका वर्तमान स्वरूप अभिलेख पर आ सके। अतः निवेदन है कि आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी उक्त वाद में अभी उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी विवादित भूमि का स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु विवादित भूमि का वर्तमान वस्तु स्थिति अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 30.10.2025 को 3000/—रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री राणाप्रताप सिंह को नियुक्त किया जाता है। वाद दिनांक..................... को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।